झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ॰ सं॰— 8/ज०स०(नि०) बाह्य— 05/2012 रॉंची, दिनांक —

आदेश

आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल चाईबासा के पत्रांक—60 (A) गो० दिनांक 07.12.11 द्वारा श्री सूर्यनाथ सिंह, तत्का० सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई —

" पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत संत नरसिंह बालिका उच्च विधालय, मनोहरपुर के पुराने विधालय भवन के उपर कराये जा रहे निर्माण कार्य प्राक्कलन के आधार पर करवाया जा रहा है। जबकि पुराना भवन जर्जर अवस्था में है। अधिकांश सिलिंग का पलास्टर झड़ चुका है। छड़ दिखाई पड़ रहा है एव बीम भी क्रेक कर गया है। छत पर अधिक भार पड़ने पर भवन घ्वस्त हो सकता है एवं जान—मान की क्षति भी संभव है। ऐसी परिस्थिति में भवन को कंडम घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन आपके द्वारा उक्त भवन के उपर मरम्मति हेतु प्राक्कलन दिनांक— 20.01.07 को तैयार किया गया जो गैरजिम्मेदाराना कृत है।"

2. झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही कालबाधित हो जाने के कारण इस नियमावली के नियम 139 (ग) के अन्तर्गत श्री सूर्यनाथ सिंह से विभागीय पत्रांक 2978 दिनांक 03.06.16 द्वारा उक्त आरोप के सापेक्ष कारण पृच्छा की गई।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित उक्त कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत संत नरसिंह बालिका उच्च विधालय, मनोहरपुर के पुराने भवन पर निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिए श्री सूर्यनाथ सिंह को दोषी पाया गया। इस प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 4211 दिनांक 23.08.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई —

(i) श्री सिंह के पेंशन राशि से 10% की कटौती पाँच वर्षो के लिए।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के ज़वाब की समीक्षा पुनः विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1840 दिनांक 13.04.2017 द्वारा निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया —

(i) श्री सूर्यनाथ सिंह के पेंशन राशि से 10% की कटौती पाँच वर्षो के लिए।

5. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सूर्यनाथ सिंह का अपील अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय झारखण्ड के पत्रांक 1615 दिनांक 29.05.17 द्वारा प्राप्त हुआ।

6. प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर कि गई। श्री सिंह द्वारा कहा गया कि मुझे दो दिनों में प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया और इसके अनुपालन में प्राक्कलन तैयार किया गया था। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया की पेंशन स्वीकृति के तीन वर्षो के अन्दर ही दण्ड दिये जाने का प्रावधान जबकी लगभग चार वर्षो के बाद मुझे दंडित किया गया है। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नही दिया गया है। श्री सिह का औपबंधिक पेंशन स्वीकृति की तिथि 27.06.2013 है और तीन वर्षो के अन्दर ही इस मामले में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 139 (ग) के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक 2978 दिनांक 03.06.2016 द्वारा श्री सूर्यनाथ सिंह से कारण पृच्छा की गई है।

7. अतः श्री सूर्यनाथ सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

8. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx

ज्ञापांक –8/ज०स०(नि०) बाह्य– 05/2012 रॉंची,दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 8/ज०स०(नि०) बाह्य– 05/2012 07 रॉंची,दिनांक – 02-01-18

प्रतिलिपि – उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/श्री सूर्यनाथ सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता, सुरनिम टावर, बाटिका ग्रीन सीटी के पास, डिमना रोड़, मानगों जमशेदपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-1-18

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx